

4361

Safar 12500

4259

3000

26

26



झारखण्ड JHARKHAND



प्राथमिक दस्तावेज
प्रा. नं. ०
दिनांक...



A 432173
 एक लाख पचास हजार
 बरपने किमान लैकर जमिन ग्राह्य बारालोडा का रकबा।
 0.1 डिग्रील वेना केवाला पठकर समझ लिमा
 अपना सही स्वने वामे हाथ के पंजो अंगुलिमे का
 निशान बनामा 12/05/15

* 2017 नवंबर 21
 भारत गैर न्यायिक
 केंद्र एवं भारत
 क सं. ३५
 5 अक्षर कोड स्टाम्प सहित।

12.5.15 140 5775
 58 58.0
 2.5
 0.20
 5836.49

बिक्रय पत्र

(1) लेख्यकारी का नाम वो पूरा पता :-

श्री अरविन्द कुमार सिंह पिता श्री असर्फा सिंह, जाति-राजपुत,
 निवास ग्राम-निमियाँ, पोस्ट-गहर पथस, थाना-पाटन,
 जिला-पलामू, पेशा-खेती, राष्ट्रीयता-भारतीय, PAN No.-
 DWRPS6340E, जन्मतिथि-17/01/1984.

(2) लेख्यधारिणी का नाम वो पूरा पता :-

श्रीमती सुमिरा कुमारी पति श्री मनोज मेहता, कायम जाति-कोईरी
 (कुशवाहा), निवास ग्राम-बारालोडा, पोस्ट-बारालोडा,

पहचान
 जमिन
 पिला
 ग्राह्य
 12/05/15



झारखण्ड JHARKHAND

A 432174

थाना-मेदिनीनगर, जिला-पलामू, पेशा-खेती, राष्ट्रीयता-भारतीय।

- (3) लेख्य प्रकार:- विक्रय-पत्र केवाला (Sale Deed)।
- (4) देय मूल्य:-मो0 1,50,000 (एक लाख पचास हजार रुपये) मात्र।
बाजार मूल्य:-मो0 1,92,500 (एक लाख बानबे हजार पाँच सौ रुपये) मात्र।
दर - आवासीय 1,92,500 रुपये प्रति डी0।

(5) सम्पति का पूरा विवरण :-

मवाजी 0.01 (एक) डीसमील जमीन टाड़ आवासीय, गृह निर्माण योग्य अन्तर ग्राम-बारालोटा, अंचल वो थाना-मेदिनीनगर, जिला-पलामू का हकियत कास्त रैयती खरीदगी अपने नाम से प्राप्त सम्पति का पार्ट होल्डिंग आज बिक्री करते है। यह सम्पति नगरपालिका क्षेत्र से बाहर है, सब वो जिला रजिस्ट्री ऑफिस मेदिनीनगर, जिला-पलामू। यह कि दस्तावेज में वर्णित भूमि सरकारी भूमि, वन भूमि, मन्दिर, मस्जिद, मठ की भूमि भू-दान में प्राप्त अथावा किसी अन्य प्रकार से प्रतिबंधित भूमि नहीं है। इसके विक्रय से छोटानागपुर कास्ताकारी अधिनियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है। इस दस्तावेज के साथ एक नजरी नक्शा भी संलग्न किया गया है जो इस दस्तावेज का एक अंग है जिसमें विक्री की गई भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है।

कुमार सिंह 12/5/15

अप्रीति लखन 12/5/15
 तारीख 12/5/15
 पलामू 11/5/15

मौजा	थाना नं0	तौजी नं0	खेवट नं0	हल्का नं0
बारालोटा	198	56	01	आवासीय



झारखण्ड JHARKHAND

A 432175

-3-

खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा ए० डी०	चौहदी
320 (तीन सौ बीस)	36 (छतीस)	0.01	उ०-सत्संग की जमीन द०-12 फीट चौड़ा रास्ता जो पहले से है पु०-ममता देवी प०-सुमिरा देवी

जमा खाता 01 जमा प्लॉट 01 रकवा 0.01 (एक) डीसमील जमीन विक्री करते है।

सलाना मालगुजारी-मो० 15 नया पैसा अलावे शेष।

नाम मालिक-नाम मालिक झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल पदाधिकारी मेदिनीनगर, जिला पलामू।

विदित हो कि खाना संख्या पाँच वसीका हाजा का सम्पति लेख्यकारी का मौजा बारालोटा, अंचल थाना-मेदिनीनगर में हकियत कास्त रैयती खरीदगी हक प्राप्त है, लेख्यकारी नें दिनांक-27.08.2012 को विजयकान्त महतो पिता स्व० देवकी महतो से वजरिये रजिस्ट्री वसीका बुक नं०-1, भैलुम नं०-176, पेज 1 से 18 एवं केवाला सं०-6033 से खरीदगी प्राप्त है जिसका नामांतरण होकर स्वयं लेख्यकारी के नाम से नामांतरण पंजी में केस सं०-568/2013-14 दर्ज है तथा होल्डिंग पेज नं०-715 में

अरवि-६ कुमार् सिंह 12/05/15

गवाँ
नाम- अरवि-६ कुमार् सिंह
(पिता-६ श्री. कुमार् सिंह महतो)
नाम- अरवि-६
नाम- अरवि-६
नाम- अरवि-६

शिवराम सिंह



झारखण्ड JHARKHAND

-4-

दर्ज होकर सरकारी रसीद स्वयं लेख्यकारी के नाम से कटते चला आ रहा है। इस भूमि पर किसी प्रकार का झगड़ा, झंझट तथा सरकारी या गैर सरकारी ऋणभार देन नहीं है और न ही किसी और के हाथों बिक्री की गई है। संक्षेप में यह कहा जाएगा कि यह भूमि हर तरह से पाक व दोषमुक्त है।

इस समय लेख्यकारी को रुपये का जरूरत वास्ते बनाने मकान बनाने व ज़रूरी अपने कार्य के लिए है जो कि खास अपने पास से रुपये का प्रबंध नहीं हो पाने के कारण इस वसिका में वर्णित भूमि को उपर वर्णित खाना संख्या दो (लेख्यधारिणी) सुमिरा कुमारी के हाथों मो० 1,50,000 (एक लाख पचास हजार रुपये) कीमत वसूल पाकर बेचा जरसमन का एक भी पैसा लेख्यकारी का लेख्यधारिणी के पास बाकी नहीं रहा न ही किसी तरह का वसूली का हालत रहा। उपरोक्त बिक्रय भूमि को लेख्यकारी ने लेख्यधारिणी के हाथों बेचा एवं केवाला बिक्रय पत्र लिखकर लेख्यधारिणी को जमीन का मालिक बनाया। जो कुछ भी दखल-कब्जा हक लेख्यकारी एवं उनके वारिसान को प्राप्त था वह सभी आज वो अभी से ही लेख्यधारिणी एवं उनके वारिसान को प्राप्त हुआ।

A 432176
अरविन्द कुमार सिद्ध 12/05/15
2-6/15



झारखण्ड JHARKHAND

A 413756

-5-

चाहिए कि लेख्यधारिणी खुद मय वारिसान उक्त बिक्रय सम्पति पर शांतिपूर्ण ढंग से काबिज दाखील रहकर मकान बनावें, चहारदिवारी बनावे, कुँआ खोदवायें या चापाकल लगावें। यानी जो भी समझे अपने मशरफ में दर लावें। इसमें मुझे तथा मेरे स्थानापत्र को कोई उजूर नहीं है और न भविष्य में होगा। नाम अपना झारखण्ड सरकार के डिमाण्ड रजिस्ट्र में नमानतंरण करा कर साल ब साल मालगुजारी दिया करें। बदले (सबुत) में मालगुजारी की रसीद प्राप्त किया करे।

इसलिए लेख्यकारी ने अपना हर धाटा, नफा वो नुकसान को खुब अच्छी तरह से सोच-समझ कर, मन, शरीर की पूर्ण स्वस्थता के हालत में रहकर, बिना किसी के डराए, धमकाये, फुसलाये वो अपने पूर्ण स्वस्थता के हालत में रहकर ग्राम बारालोटा के खाता संख्या-320, प्लौट संख्या-36, कुल रकवा 0.01 डी0 जमीन आज के दिन लेख्यधारिणी (सुमिरा कुमारी) के हाथों बिक्री किया एवं केवाला बिक्रय पत्र लिख दिया कि समय पर काम आवे वो भविष्य में प्रमाण बना रहे।


आज दिनांक :- 09-05-2015

51/50/51 थिड 711811
झारखि-६ कुमिरा कुमारी 12/05/15



झारखण्ड JHARKHAND

413757



5/50/21 385 2-6/21



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



सत्यमेव जयते

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

A 413758

अरविन्द कुमार सिंह 12/05/15



झारखण्ड JHARKHAND

A 413759

-8-

कातिब :- संजय कुमार मेहता ताईद ला0नं0-88/03

वसिका कुमारी



11 दिसंबर 2015
ला० नं० - 88/03
मेदिनीनगर, पलामू

अरवि-6 कुमार सिंह 12/05/15

संजय कुमार मेहता..... वसिका का मजबुन बना कर टंकण करावाकर दोनों पक्षों को पढ़ कर सुना व समझा दिया जिस पर दोनों पक्षों का सही एवं बाये हाथ के अँगुलियों का निशान बना हुआ है।

टंकक

आनन्द कुमार
आनन्द कुमार
मेदिनीनगर, पलामू।